न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 07 / 2018

अपीलकर्ता		उतरदातागण
1 बागाराम पुत्र कृपाराम जाति गर्ग (गुरूड़ा) निवासी महाबार तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 ग्राम पंचायत गालावेरी 2 गोकलाराम पुत्र पुराराम 3 रामाराम पुत्र गोकलाराम जाति माली निवासी शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपरिथति :– 1 श्री मोहनलाल पूनड़, वकील अपीलकर्ता पक्ष।

आदेश

दिनांक 20/09/23

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा करनावास पटवार हल्का शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 781 / 521 की 06.00 बीघा भूमि खातेदार गोकला, जोगा पिसरान पूराराम का संयुक्त खातेदारी का आया हुआ था। उक्त भूमि में से उतरदाता संख्या 02 गोकलाराम पुत्र पूराराम जाति माली निवासी शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण द्वारा अपनी घरेलु आवश्यकता के लिए उतरदाता संख्या 02 ने अपना 1 / 2 हिस्सा में से रकबा 03.00 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्व बेचान पत्र के दिनांक 10.10.2016 को अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय की, जिसके अनुसार अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा कर काश्त करता आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा उसी समय तत्कालीन पटवारी हल्का को नामान्तकण भरने हेतु पंजीबद्व बेचान पत्र की प्रति उपलब्ध करवा कर नामान्तकरण पारित करने हेतु निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण भरने का आश्वासन दिया। कुछ अर्सा पूर्व कुछ लोग अपीलान्ट की भूमि पर तारबन्दी करने हेतु आये जिसमें उतरदाता संख्या 02 गोकलाराम व उसका पुत्र नरेश के खरीदसुदा खेत पर खड़े थे, जिस पर अपीलान्ट ने उन्हे पूछा तो उतरदाता संख्या 02 ने बताया कि उतरदाता संख्या 03 रामाराम पुत्र गोकलाराम जाति माली निवासी शिवकर को बेचान दी तथा उसके पक्ष में नामान्तरण भी पारित करवा दिया है। उक्त द्वितीय बेचान दिनांक 28.07.2017 के आधार पर उतरदाता संख्या 01 द्वारा जो अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 20.11.2017 भरा गया है वह प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध होने से खारिज योग्य है। उक्त नामान्तकरण का अपीलकर्ता को दिनांक 17.02.2018 को नकले मांगने पर जानकारी हुई। उक्त नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 20.11.2017 पारित करने में उतरदाता संख्या 02 को अपीलकर्ता के खरिद सुदा कब्जा की जानकारी थी, परन्तु पिता–पुत्र ने जो उतरदाता संख्या 02 व 03 है ने आपस में मिलावट कर दुसरा बेचान करवा दिया जिस पर उतरदाता संख्या 02 से नामान्तकरण भी पारित करवा दिया जो न्यायिक एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है। उक्त जानकारी की तिथि से यह अपील अन्दर म्याद धारा 05 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। लिहाजा अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाकर उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 20.11.2017 खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

वकील अपीलकर्ता द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 20.11.2017 का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी उक्त नामान्तकरण का अपीलकर्ता को दिनांक 17.02.2018 को नकले

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

मांगने पर जानकारी हुई। उक्त ज्ञान होने पर अपीलान्टगण द्वारा अपील प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत म्याद में सुमार करने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदाता संख्या 03 स्वयं उपस्थित। उतरदाता संख्या 03 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही किया। लिहाजा उतरदाता संख्या 03 का जवाब बन्द किया जाता है। शेष उतरदातागण ईकतरफा।

वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 20.11.2017 तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध बेचान दिनांक 10.10.2016 तथा पंजीबद्ध बेचान दिनांक 28.07.2017 का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध बेचान दिनांक 10.10.2016 जो उतरदाता संख्या 03 से पहले क्रय की गई है तथा उतरतदाता संख्या 02 व 03 ने मिलावट कर अपीलकर्ता द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तकरण पारित नही होने का लाभ उठाकर अपने पक्ष में बेचान कर नामान्तकरण पारित करवा दिया। लिहाजा उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 20.11.2017 का अपास्त किया जाकर पुनः पंजीबद्ध बेचान के आधार पर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 05 म्याद अधिनियम अन्दर म्याद सुमार की जाती है तथा अपील स्वीकार की जाकर मौजा करनावास पटवार हल्का शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 781/521 की 06.00 बीघा भूमि में उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 20.11.2017 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा करनावास पटवार हल्का शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 781/521 की 06.00 बीघा भूमि में पंजीबद्ध विक्रय दस्तावेजों की सही जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन कर प्रविष्टी पुनः दर्ज करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 20/09/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर